यूको इंद्रप्रस्थ

नई दिल्ली अंचल - छमाही पत्रिका

अंक - 6

अप्रैल 2025 - सितम्बर 2025

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust

संपादक मंडल

संरक्षक

श्री अम्बिकानन्द झा

महाप्रबंधक , कारोबार विकास

अध्यक्ष

श्री राजेश कुमार तिवारी

महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख

मार्गदर्शन

श्री मनोज कुमार

उप अंचल प्रमुख

श्री आशा एस सुकुमारन

मुख्य प्रबंधक

संपादक

नम्रता सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा

पता : 5, यूको बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली -1

ई-मेल: zonewdelhi.ol@ucobank.co.in

महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय साथियों,

नई दिल्ली अंचल की छमाही पत्रिका " यूको इंद्रप्रस्थ " के माध्यम से एक बार फिर से आपसे संवाद करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष का आधा सत्र समाप्त हो चुका है और वित्तीय वर्ष के साथ ही नई चुनौतियां हमारे सक्षम हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हमें अपनी रणनीति को प्रभावी तरीके से अमल में लाना है । इस बात में कोई दो राय नहीं कि लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होकर समवेत प्रयासों से ज़रूर सफलता मिलती है । चालू वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ने के लिए व्यवसायिक पैरामीटर का निर्धारण, परिचालन एवं बेहतर ग्राहक सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए ।

साथियों, ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व से आप सभी भलीभांति परिचित हैं । सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के साथ हमारा व्यवहार , हमारी बातचीत ग्राहक में विश्वास और सकारात्मकता का संचार करे । हमें कारोबार बढ़ाने के लिए सभी मापदंडों पर ध्यान देना होगा जिसमे कासा, रिटेल, एमएसएमई

, विभिन्न डिजिटल उत्पाद जैसे साउंड बॉक्स , क्यू आर कोड यूपीआई एवं डोर स्टेप बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं । बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उक्त सभी सुविधाओं के प्रयोग के लिए ग्राहकों को उत्साहित करना होगा । मैं प्रत्येक स्टाफ सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें ।

हमें ऋण निगरानी की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि सिस्टम जनरेटिड एनपीए की सूची बहुत लंबी न हो और फ्रेश स्लिपेज़ को रोका जा सके । प्रत्येक शाखा को एनपीए खातों की समीक्षा करके यह तय करना चाहिए कि वसूली की कौन सी प्रक्रिया प्रभावी रहेगी ।वसूली प्रक्रिया के विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

आशा है कि सभी शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पूर्ण लगन एवं समर्पण से एक टीम के रूप में कार्य करते हुए , हम वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 -26 में कारोबार में नए बेंचमार्क स्थापित करने में सक्षम होंगे ।
शुभकामनाओं के साथ |

आपका,

(राजेश कुमार तिवारी)
महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख

संपादक की कलम से...

नई दिल्ली अंचल की छमाही पत्रिका 'यूको इंद्रप्रस्थ' का 'अप्रैल - सितम्बर' अंक आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पत्रिका का मूल उद्देश्य ज्ञानवर्धन के साथ-साथ अंचल की कारोबारी गतिविधियों को सभी के संज्ञान में लाना है । आशा है यह पत्रिका अंचल की व्यवसायिक एवं राजभाषा संबंधी उपलब्धियों प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

यह मात्र पत्रिका नहीं अपितु एक माध्यम है पारस्परिक सहयोग एवं भाषायी तारतम्य स्थापित करने का। हिंदी कभी न अस्त होने वाले सूर्य की भांति प्रकाशमान है , इसकी स्वर्णिम आभा हमारे बैंकिंग विकास के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देती आई है और आशा है कि यह क्रम आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

जिस प्रकार शनै: शनै: पुष्प का पल्लवन होता है उसी तरह हमारी योग्यता समय के साथ निखरती जाती है बस आवश्यकता होती है मेहनत, लगन एवं समर्पण की। अनेक उतार- चढावों का सामना करते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं , बैंकिंग व्यवस्था में भी राजभाषा संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न उतार-चढावों का सामना करते हुए बेहतर से बेहतर परिणामों हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब हम किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो भविष्य के लिए नया लक्ष्य स्वत: ही निर्धारित हो जाता है और हम पूरे मनोयोग से उसे प्राप्त करने में जुट जाते हैं।

सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि पत्रिका हेतु लेख प्रेषित करें ।

यूको इंद्रप्रस्थ के इस अंक पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

शुभकामनाओं सहित,

आपकी

नम्रता सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

आलेख - क्रिकेट का इतिहास

क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति और इतिहास

क्रिकेट आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। भारत सहित अनेक देशों में यह केवल एक खेल नहीं , बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं , उत्साह और मनोरंजन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हालांकि क्रिकेट की लोकप्रियता जितनी व्यापक है उतने ही रोचक इसके नाम और इतिहास से जुड़े तथ्य भी हैं। आइए जानते हैं कि क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और यह खेल विश्व के विभिन्न देशों तक कैसे पहुँचा।

क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति

सन् 1598 के सबसे प्रारंभिक ज्ञात संदर्भों में क्रिकेट को *Creckett* नाम से उल्लेखित किया गया है। विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मध्य डच भाषा के *Krik* अथवा *Krick* शब्द से निकला है, जिसका अर्थ "छड़ी" होता है। कुछ इतिहासकार इसकी उत्पत्ति पुरानी अंग्रेज़ी के *Cricc* या *Cryce* शब्दों से भी जोड़ते हैं, जिनका अर्थ बैसाखी, डंडा अथवा लाठी है।

अंग्रेज़ी भाषा के प्रसिद्ध शब्दकोशकार सैमुअल जॉनसन ने अपने शब्दकोश (1755) में क्रिकेट की व्युत्पत्ति *Cryce* अर्थात् छड़ी से बताई है। एक अन्य मत के अनुसार क्रिकेट शब्द मध्य डच भाषा के *Krickstoel* से भी संबंधित हो सकता है। *Krickstoel* चर्च में घुटने टेकने के लिए प्रयुक्त एक छोटे स्टूल को कहा जाता था। इसका आकार प्रारंभिक क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले दो-स्टंप वाले विकेट से मिलता-जुलता था , इसलिए कई इतिहासकार इसे भी क्रिकेट शब्द की संभावित उत्पत्ति मानते हैं।

क्रिकेट का प्रारंभिक स्वरूप

क्रिकेट के पहले मैच के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वह कब , कहाँ और किन खिलाड़ियों के बीच खेला गया था। हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण

बताते हैं कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह मुख्य रूप से बच्चों का खेल था। धीरे-धीरे युवाओं और वयस्कों की इसमें रुचि बढ़ी और यह मनोरंजन का लोकप्रिय साधन बन गया।

प्रारंभिक दिनों में क्रिकेट खुले मैदानों , विशेष रूप से भेड़ों के चरागाहों में खेला जाता था। उस समय खेल के उपकरण आज की तरह विकसित नहीं थे। भेड़ की ऊन से बने गोले, पत्थर अथवा कपड़े की गेंद का उपयोग गेंद के रूप में किया जाता था। लकड़ी की छड़ी, अंकुनी अथवा अन्य कृषि उपकरण बल्ले का कार्य करते थे। विकेट के रूप में स्टूल, फाटक या पेड़ों के तने उपयोग में लाए जाते थे।

इंग्लैंड में लोकप्रियता

इतिहासकारों के अनुसार क्रिकेट का विकास इंग्लैंड के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यह ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया। उस समय लोग अवकाश के दिनों में नगरों से बाहर जाकर मित्रों और परिवार के साथ समय बिताते थे तथा क्रिकेट खेलते थे।

18वीं शताब्दी तक आते-आते क्रिकेट इंग्लैंड का एक संगठित खेल बन चुका था। विभिन्न क्षेत्रों की टीमों के बीच मुकाबले आयोजित होने लगे और खेल के नियम भी धीरे-धीरे निर्धारित किए गए। इसी अवधि में क्रिकेट ने एक स्थानीय खेल से राष्ट्रीय खेल का स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया।

विश्व में क्रिकेट का प्रसार

ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ क्रिकेट भी विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचा। जिन देशों में अंग्रेज़ों का शासन या प्रभाव था , वहाँ यह खेल तेजी से लोकप्रिय हुआ। उत्तर अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट का प्रसार इसी प्रक्रिया का परिणाम था।

सन् 1709 में तत्कालीन अंग्रेज़ उपनिवेश वर्जीनिया में विलियम बायर्ड द्वारा अपने जेम्स रिवर एस्टेट में क्रिकेट खेलने का उल्लेख मिलता है। इसे नई दुनिया (अमेरिका) में क्रिकेट खेले जाने का सबसे प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है।

भारत में क्रिकेट का आगमन

भारत में क्रिकेट का इतिहास लगभग तीन सौ वर्ष पुराना है। सन् 1721 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ नाविकों द्वारा गुजरात के कैम्बे (वर्तमान खंभात) के निकट क्रिकेट खेले जाने का उल्लेख मिलता है। इसे भारत में क्रिकेट का सबसे प्रारंभिक ज्ञात संदर्भ माना जाता है।

इसके बाद अंग्रेज़ अधिकारियों, सैनिकों और व्यापारियों के माध्यम से यह खेल देश के विभिन्न भागों में फैलता गया। प्रारंभ में क्रिकेट केवल अंग्रेज़ों तक सीमित था , किंतु धीरे-धीरे भारतीयों ने भी इसमें रुचि लेना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में पारसी समुदाय ने क्रिकेट को अपनाया और बाद में हिंदू , मुस्लिम तथा अन्य समुदायों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की।

भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी क्रिकेट का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। समय के साथ यह खेल भारतीय जनजीवन का अभिन्न अंग बन गया और आज भारत विश्व क्रिकेट की प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत

क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सन् 1844 में आया, जब पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। यह मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत सन् 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच से मानी जाती है।

इसके बाद क्रिकेट निरंतर विकसित होता गया। टेस्ट क्रिकेट के साथ एकदिवसीय (ODI) और ट्वेंटी-20 (T20) प्रारूपों के आगमन ने खेल को और अधिक रोमांचक तथा

लोकप्रिय बना दिया। आज क्रिकेट विश्व के अनेक देशों में पेशेवर स्तर पर खेला जाता है और करोड़ों दर्शक इसे उत्साहपूर्वक देखते हैं।

निष्कर्ष

क्रिकेट का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। एक साधारण ग्रामीण खेल के रूप में शुरू होकर यह आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल हो चुका है। इसके नाम की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं, किंतु इतना निश्चित है कि क्रिकेट ने समय के साथ स्वयं को निरंतर विकसित किया है। इंग्लैंड की धरती से प्रारंभ होकर यह खेल आज विश्वभर में खेला और सराहा जाता है। भारत में तो क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना, एक संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

एम.एस.एम.ई कार्निवल

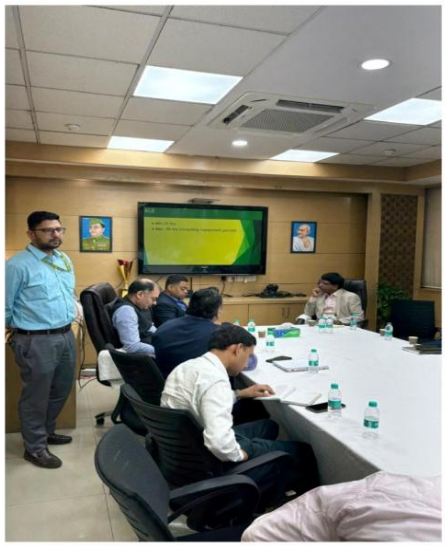
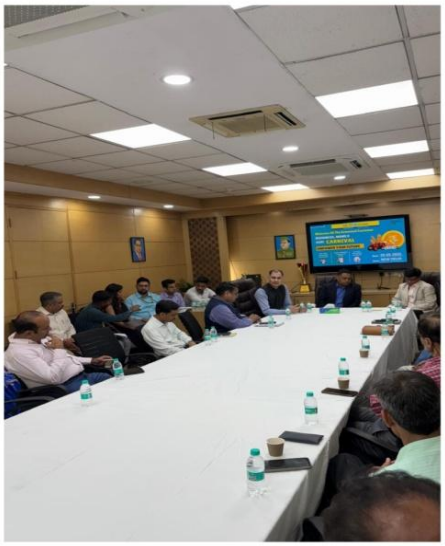

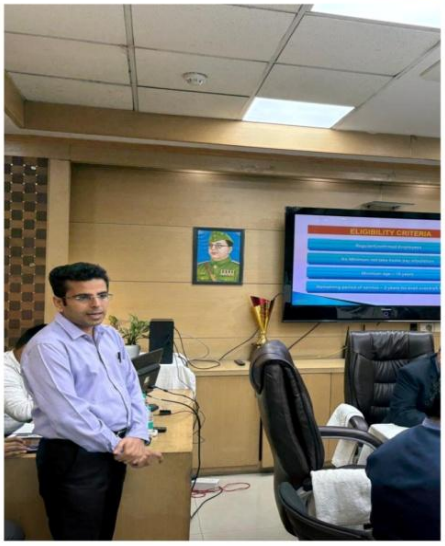

यूको बैंक अंचल कार्यालय में एम.एस.एम.ई कार्निवल के अंतर्गत मई माह में ग्राहक सेवा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शाखाओं के श्रेष्ठ ग्राहकों को आमंत्रित किया गया उन्हें बैंक की नवीनतम योजनाओं व विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी गई।

अंचल कार्यालय,नई दिल्ली में शाखा प्रबंधकों की बैठक

अप्रैल माह में यूको बैंक अंचल कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा शाखा प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गत तिमाही के दौरान शाखाओं द्वारा किए गए कार्यों, व्यावसायिक उपलब्धियों तथा विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वाली शाखाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। साथ ही आगामी तिमाही के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग
नीति, अनुपालन और दायित्व

भारत की राजभाषा हिन्दी केवल संवाद का माध्यम ही नहीं , बल्कि प्रशासनिक कार्यों में जनसामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि शासन और जनता के मध्य भाषा संबंधी दूरी को कम किया जाए तथा प्रशासनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, को उचित स्थान प्रदान किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा संबंधी विभिन्न संवैधानिक प्रावधान , अधिनियम, नियम तथा दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग का आधार राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) तथा इसके अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से बैंकिंग कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम

भारत सरकार का गृह मंत्रालय , राजभाषा विभाग समय-समय पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है तथा वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनके आधार पर हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी की जाती है। इस उद्देश्य से समय-समय पर समीक्षा , निरीक्षण तथा प्रतिवेदन की व्यवस्था की गई है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भूमिका

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के निर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के मुख्य महाप्रबंधक होते हैं तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

यह समिति प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित कर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। बैठकों में बैंकों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों , चुनौतियों तथा सुधार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श

किया जाता है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक निर्णय भी लिए जाते हैं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।

अनुपालन का उत्तरदायित्व

राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान पर होता है। उनका यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम , राजभाषा नियम तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन हो रहा है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासनिक प्रधानों को आवश्यक नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए तथा प्रभावी जांच-बिंदु निर्धारित करने चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

हिन्दी में पत्राचार

राजभाषा नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष हिन्दी में पत्राचार है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाए, चाहे संबंधित कार्यालय अथवा शाखा देश के किसी भी क्षेत्र में स्थित क्यों न हो।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यदि कोई हिन्दी पत्र विधिक अथवा अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का नहीं है, तो उसके अंग्रेज़ी अनुवाद की मांग नहीं की जानी चाहिए। इससे ग्राहकों को अपनी भाषा में संवाद करने का अवसर मिलता है तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है।

बैंकों द्वारा प्रेषित पत्रों , लिफाफों तथा अन्य पत्राचार सामग्री पर पते हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में लिखे जाने चाहिए, जिससे राजभाषा नीति का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

बैंकिंग कार्यों में हिन्दी का प्रयोग

बैंकिंग सेवाओं को आमजन तक सहज रूप से पहुंचाने के लिए बैंकिंग हॉल में हिन्दी के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक शाखा में प्रमुख स्थान पर हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में यह सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए कि बैंक हिन्दी में लिखे एवं हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करता है।

हिन्दी में लिखे, पृष्ठांकित तथा हस्ताक्षरित चेकों को बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के भुगतान हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेज़ी में तैयार किए गए सरकारी दस्तावेजों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करना पूर्णतः वैध है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता प्रदान करना तथा बैंकिंग सेवाओं को अधिक जनोन्मुख बनाना है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार कुछ विशिष्ट दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किया जाना अनिवार्य है।

इन दस्तावेजों में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं—

1. सामान्य आदेश, संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा प्रकाशन।
2. प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की रिपोर्टें।
3. नोटिस, नियम, अधिसूचनाएँ, निविदा प्रपत्र , अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस) तथा अन्य वैधानिक दस्तावेज।
4. भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचनाएँ।
5. बैंक द्वारा निष्पादित सभी प्रकार के संविदाएँ, अनुबंध एवं करार।

धारा 3(3) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हों, जिससे देश के विभिन्न भाषा-भाषी नागरिकों को समान रूप से जानकारी प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग केवल वैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जनोन्मुख तथा प्रभावी बनाने का माध्यम भी है। बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग ग्राहकों के साथ संवाद को सरल बनाता है तथा वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक करता है। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन कर बैंक न केवल अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं , बल्कि राष्ट्रभाषायी एकता और जनसहभागिता को भी सुदृढ़ बनाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए और राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ लागू किया जाए।

साहित्यकार - चंदबरदाई

चंदबरदाई (जन्म 1205 तदनुसार 1148 ई. लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान) को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी , चंदबरदाई आदिकाल के श्रेष्ठ कवि थे। उनका जीवन काल बारहवीं शताब्दी में था। एक उत्तम कवि होने के साथ, वह एक कुशल योद्धा और राजनायिक भी थे। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र तथा राजकवि थे। पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक अजमेर व दिल्ली पर राज किया। यह चंदबरदाई का रचनाकाल भी था। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य - ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है , इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है।

इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में , आखेट में, सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थीं ,सब में सम्मिलित रहते थे। यहां तक कि मुहम्मद गौरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके एवं बंदी बना करके गजनी ले जाया गया तो ये स्वंय को वश में नहीं रख सके एवं गजनी चले गए। ऐसा माना जाता है कि कैद में बंद पृथ्वीराज को जब अंधा कर दिया गया तो उन्हें इस अवस्था में देख कर इनका हृदय द्रवित हो गया एवं उन्होंने गौरी के वध की योजना बनाई। उक्त योजना के अंतर्गत इन्होंने पहले तो गौरी का हृदय जीता एवं फिर गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। इससे प्रभावित होकर मौहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की। प्रदर्शन के दिन चंद बरदाई गौरी के साथ मंच पर बैठे। अंधे पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया एवं उनसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। पृथ्वीराज के द्वारा जैसे ही एक घण्टे के ऊपर बाण चलाया गया के मुंह से अकस्मात ही वाह! वाह! शब्द निकल पड़ा बस फिर क्या था चंदबरदाई ने तत्काल एक दोहे में पृथ्वीराज को यह बता दिया कि गौरी कहां पर एवं कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। वह दोहा इस प्रकार था:

" चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमान !
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान !! "

इस प्रकार चंद बरदाई की सहायता से पृथ्वीराज के द्वारा गौरी का वध कर दिया गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक काव्य माना जाता है।

साइबर क्राइम

वर्तमान समय को डिजिटल युग कहा जाता है। आज बैंकिंग , खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सुविधाएं, संचार और मनोरंजन जैसी लगभग सभी गतिविधियां इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से संचालित हो रही हैं। स्मार्टफोन , कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई ने जहां हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधों के लिए नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। साइबर अपराधी नई-नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराने , बैंक खातों से धन निकालने, संस्थानों के डेटा को नुकसान पहुंचाने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना भी अत्यंत आवश्यक है।

साइबर क्राइम क्या है?

साइबर क्राइम वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर , मोबाइल, इंटरनेट, नेटवर्क या किसी अन्य डिजिटल उपकरण का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है अथवा इन्हें अपराध का लक्ष्य बनाया जाता है। साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा चोरी, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर आतंकवाद और डिजिटल जासूसी जैसे अनेक रूपों में सामने आते हैं।

साइबर अपराधों की विशेषता यह है कि अपराधी कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थित व्यक्ति, संस्था या संगठन को निशाना बना सकता है। यही कारण है कि साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों की तुलना में अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं।

भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती

भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। डिजिटल इंडिया अभियान , यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधियों ने भी लोगों को निशाना बनाने के नए तरीके विकसित किए हैं।

आजकल साइबर अपराधी बैंक अधिकारियों , कस्टमर केयर प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, ई-कॉमर्स कंपनियों और यहां तक कि परिचित व्यक्तियों के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करके लोगों को धोखा देने

का प्रयास करते हैं। कई बार लोग अनजाने में ओटीपी , यूपीआई पिन, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा कर देते हैं और आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं।

साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार

1. हैकिंग (Hacking)

हैकिंग किसी कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने की प्रक्रिया है। हैकर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर डेटा चुरा सकते हैं , उसमें बदलाव कर सकते हैं या सिस्टम को निष्क्रिय बना सकते हैं।

यद्यपि सभी हैकर अपराधी नहीं होते, लेकिन दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से की गई हैकिंग साइबर अपराध की श्रेणी में आती है। कई बार हैकर कंपनियों के गोपनीय डेटा , ग्राहकों की जानकारी और बैंकिंग रिकॉर्ड तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।

2. फ़िशिंग (Phishing)

फ़िशिंग वर्तमान समय के सबसे आम साइबर अपराधों में से एक है। इसमें अपराधी नकली ई-मेल , एसएमएस, सोशल मीडिया संदेश या वेबसाइट का उपयोग करके उपयोगकर्ता को भ्रमित करते हैं।

उदाहरण के लिए, किसी बैंक, बीमा कंपनी, आयकर विभाग या कुरियर सेवा के नाम से संदेश भेजा जाता है और उपयोगकर्ता से उसकी गोपनीय जानकारी मांगी जाती है। जैसे ही व्यक्ति अपनी जानकारी दर्ज करता है, वह सीधे साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है।

3. स्पीयर फ़िशिंग (Spear Phishing)

यह फ़िशिंग का अधिक उन्नत रूप है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति , अधिकारी या संस्था को लक्ष्य बनाकर व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर धोखाधड़ी की जाती है। चूंकि संदेश वास्तविक प्रतीत होता है, इसलिए इसके सफल होने की संभावना अधिक होती है।

4. पहचान की चोरी (Identity Theft)

इस अपराध में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार संख्या , पैन संख्या, मोबाइल नंबर, बैंकिंग विवरण, पासवर्ड या सोशल मीडिया प्रोफाइल का दुरुपयोग किया जाता है। अपराधी पीड़ित के नाम पर वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं या अन्य अपराधों को अंजाम दे सकते हैं।

5. यूपीआई और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी

भारत में यूपीआई भुगतान प्रणाली की लोकप्रियता के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी भी बढ़ी है। साइबर अपराधी निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं—

- नकली भुगतान लिंक भेजना
- फर्जी कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध कराना
- स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाना
- क्यूआर कोड स्कैन करवाकर पैसे निकालना
- केवाईसी अपडेट के नाम पर जानकारी लेना

यह ध्यान रखना चाहिए कि पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती।

6. वायरस, वर्म और मैलवेयर

मैलवेयर ऐसे हानिकारक सॉफ़्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है।

इनमें प्रमुख हैं—

- वायरस (Virus)
- वर्म (Worm)
- ट्रोजन (Trojan)
- स्पाइवेयर (Spyware)
- एडवेयर (Adware)
- रैनसमवेयर (Ransomware)

ये प्रोग्राम डेटा को नष्ट कर सकते हैं , जानकारी चुरा सकते हैं अथवा सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

7. रैनसमवेयर हमला

रैनसमवेयर आज के समय का सबसे खतरनाक साइबर खतरा माना जाता है। इसमें अपराधी किसी संगठन या व्यक्ति के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे पुनः उपलब्ध कराने के लिए फिरौती की मांग करते हैं।

विश्व भर में अस्पतालों, बैंकों, सरकारी संस्थानों और बड़ी कंपनियों पर ऐसे हमले हो चुके हैं।

8. सोशल मीडिया अपराध

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग के साथ अनेक प्रकार के साइबर अपराध सामने आए हैं , जैसे—

- फर्जी प्रोफाइल बनाना
- साइबर बुलिंग
- ऑनलाइन उत्पीड़न
- ब्लैकमेलिंग
- मॉर्फ्ड फोटो प्रसारित करना
- फर्जी समाचार फैलाना
- प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना

9. डेटा चोरी और डेटा उल्लंघन

किसी संस्था या व्यक्ति के संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर उसे चुराना या सार्वजनिक करना डेटा चोरी कहलाता है। इससे वित्तीय नुकसान के साथ-साथ प्रतिष्ठा और गोपनीयता को भी गंभीर क्षति पहुंच सकती है।

10. लॉजिक बम (Logic Bomb)

लॉजिक बम एक विशेष प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड होता है जो किसी निर्धारित तिथि, समय या घटना के घटित होने पर सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद यह डेटा नष्ट कर सकता है या सिस्टम को प्रभावित कर सकता है।

11. साइबर स्टॉकिंग (Cyber Stalking)

किसी व्यक्ति का इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पीछा करना , परेशान करना, धमकी देना या उसकी गतिविधियों पर अनधिकृत निगरानी रखना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। यह महिलाओं और युवाओं के विरुद्ध होने वाले प्रमुख साइबर अपराधों में से एक है।

साइबर अपराधों का प्रभाव

साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं हैं। इनके कारण—

- व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन होता है।
- संस्थानों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।
- व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- लोगों का डिजिटल सेवाओं पर विश्वास कम हो सकता है।

साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां

साइबर अपराधों से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए—

- मजबूत और जटिल पासवर्ड का उपयोग करें।
- प्रत्येक खाते के लिए अलग पासवर्ड रखें।
- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सक्रिय करें।
- ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी और पासवर्ड किसी से साझा न करें।
- अज्ञात लिंक और ई-मेल अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें।
- केवल अधिकृत वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
- ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।
- विश्वसनीय एंटीवायरस का उपयोग करें।
- सार्वजनिक वाई-फाई पर संवेदनशील लेन-देन करने से बचें।
- सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी सीमित मात्रा में साझा करें।

भारत में साइबर कानून

भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 (Information Technology Act, 2000) लागू है। समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं ताकि नए प्रकार के साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

आईटी अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं—

- धारा 43 – कंप्यूटर प्रणाली को अनधिकृत क्षति पहुंचाना।
- धारा 65 – कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़।
- धारा 66 – कंप्यूटर संबंधी अपराध।
- धारा 66B – चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग।
- धारा 66C – पहचान की चोरी।
- धारा 66D – ऑनलाइन प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
- 66E – निजता का उल्लंघन।
- 66F – साइबर आतंकवाद।
- धारा 67, 67A एवं 67B – अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साइबर अपराध की शिकायत कैसे करें?

यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

- राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को तुरंत सूचित करें।
- सभी स्क्रीनशॉट, संदेश, ई-मेल और लेन-देन संबंधी प्रमाण सुरक्षित रखें।

समय पर शिकायत करने से वित्तीय नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है , बल्कि प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता का दायित्व है। साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार , सतर्कता, तकनीकी ज्ञान और साइबर कानूनों की जानकारी के माध्यम से हम स्वयं को तथा अपने समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित रख सकते हैं। एक जागरूक नागरिक ही सुरक्षित डिजिटल भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बैंकिग-शब्दावली

क्र.	शब्द	अर्थ
1	Abandoned Cargo	परित्यक्त माल
2	Abandonment of Claim	दावे का परित्याग
3	Abatement	कमी
4	Abatement of Duty	शुल्क में कमी
5	Abatement of Purchase Money	क्रय धन में कमी
6	Abdication	अधिकार त्याग / पद त्याग
7	Ability to Invest	निवेश क्षमता
8	Ability to Pay	भुगतान क्षमता
9	Abnormal Demand	असामान्य मांग
10	Abnormal method of Finance	वित्त पोषण की असामान्य प्रणाली / पद्धति
11.	Abnormal Price	असामान्य कीमत
12.	Abnormal Profit	असामान्य लाभ
13.	Aboard	जहाज / जहाज में
14.	Above from Liability	दायित्व से मुक्ति पाना
15.	Above Par Value	अधिमूल्य पर

शेष आगे के अंक में.....

हिंदी दिवस समारोह

दिनांक 01.10.2025 को अंचल कार्यालय नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े (14.09.2025 से 30.09.2025) तक का समापन एवं पुरस्कार वितरण माननीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री अश्वनी कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। एमडी सर एवं महाप्रबंधक कारोबार विकास श्री अम्बिकानंद झा एवं महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार तिवारी ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं व गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर एमडी सर ने यूको बैंक द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यनिष्पादन की सराहना करते हुए सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया।

संसदीय समिति :राजभाषायी निरीक्षण

22.08.2025 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा अंचल कार्यालय नई दिल्ली का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ|

समिति ने कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन को उत्कृष्ट पाया|

इस अवसर पर विशेष रूप से श्री घनश्याम परमार महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय उपस्थित रहे।

राजस्थानी भाषा एवं साहित्य

राजस्थान अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक , सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं के लिए विश्वविख्यात है। यहां की लोकसंस्कृति , लोककला, लोकसंगीत और लोकभाषाएं भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। राजस्थानी भाषा इन्हीं सांस्कृतिक परम्पराओं की सशक्त संवाहक है। अपनी मधुरता , अभिव्यक्ति-समृद्धि तथा विशाल लोकसाहित्य के कारण राजस्थानी भाषा भारतीय भाषाओं में विशिष्ट स्थान रखती है।

राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश और विदेश में बसे करोड़ों राजस्थानी भाषियों द्वारा बोली और समझी जाती है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग छह करोड़ से अधिक मानी जाती है। यद्यपि केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है , तथापि इसे अभी संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त होना शेष है।

राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास

भाषाविदों के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के प्रमुख रूप नागर , ब्राचड़ तथा उपनागर माने जाते हैं। नागर अपभ्रंश से लगभग 10वीं–11वीं शताब्दी के दौरान राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है।

प्रारम्भिक काल में राजस्थानी और गुजराती का स्वरूप काफी हद तक मिश्रित था। लगभग 16वीं शताब्दी तक दोनों भाषाओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है , किन्तु इसके पश्चात् राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं शताब्दी के अंत तक यह पूर्णतः एक पृथक भाषा का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी।

राजस्थानी भाषा के प्राचीन स्वरूप का उल्लेख आचार्य उद्योतनसूरि द्वारा रचित ‘कुवलयमाला’ (779 ई.) में मिलता है , जिसमें वर्णित विभिन्न देशज भाषाओं में

'मरुभाषा' का भी उल्लेख किया गया है। बाद के काल में कवि कुशललाभ के ग्रंथ *पिंगल शिरोमणि* तथा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति *आइने अकबरी* में भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मिलता है।

राजस्थानी भाषा एवं उसकी बोलियों का व्यवस्थित भाषावैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ *लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया* (1908) में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए 'राजस्थानी' शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी विभिन्न उपशाखाओं का वर्गीकरण किया।

राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण

ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की प्रमुख उपशाखाएँ निम्नलिखित मानी हैं—

1. पश्चिमी राजस्थानी

- मारवाड़ी
- मेवाड़ी
- बागड़ी (वागड़ी)
- शेखावटी

2. पूर्वी राजस्थानी

- ढूँढाड़ी
- हाड़ौती

3. उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी

- मेवाती
- अहीरवाटी

4. दक्षिणी-पूर्वी राजस्थानी

- **मालवी**
- **निमाड़ी**

डिंगल और पिंगल

राजस्थानी साहित्य में डिंगल और पिंगल दो प्रमुख साहित्यिक शैलियाँ मानी जाती हैं।

डिंगल मुख्यतः पश्चिमी राजस्थानी अथवा मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। वीर रस , इतिहास, युद्धकथाओं और राजपूत शौर्य के वर्णन में डिंगल शैली का व्यापक प्रयोग हुआ।

पिंगल पर ब्रजभाषा तथा पूर्वी राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति , श्रृंगार और काव्यात्मक अभिव्यक्ति में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

<u>राजस्थानी की प्रमुख बोलियां</u>

1. मारवाड़ी

राजस्थानी की सबसे समृद्ध और व्यापक बोली मारवाड़ी है। कुवलयमाला में वर्णित 'मरुभाषा' को ही वर्तमान मारवाड़ी का प्राचीन स्वरूप माना जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर तथा सिरोही जिलों में है।

साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी अत्यंत समृद्ध है और इसके साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी का शुद्धतम रूप जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सुनने को मिलता है।

मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं—

- मेवाड़ी
- शेखावटी
- नागौरी
- थली
- गौड़वाड़ी
- देवड़ावाटी
- बागड़ी

2. मेवाड़ी

उदयपुर तथा उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है और यहाँ बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की अत्यंत महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है।

मेवाड़ी में लोकसाहित्य का विशाल भण्डार उपलब्ध है। इसके विकसित रूप के दर्शन 12वीं एवं 13वीं शताब्दी से मिलने लगते हैं। महाराणा कुम्भा की रचनाओं में भी मेवाड़ी का प्रभाव देखा जा सकता है।

3. वागड़ी (बागड़ी)

डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम वागड़ था , इसलिए यहाँ की बोली वागड़ी कहलाती है। इस पर गुजराती तथा भीली भाषाओं का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है।

यह बोली दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी अरावली क्षेत्र तथा मालवा के सीमावर्ती भागों में प्रचलित है।

4. ढूँढाड़ी

जयपुर क्षेत्र के ढूँढाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा ढूँढाड़ी कहलाती है। इसे जयपुरी अथवा झाड़शाही भी कहा जाता है।

इस पर मारवाड़ी, गुजराती और ब्रजभाषा का प्रभाव मिलता है। संत दादूदयाल और उनके शिष्यों ने इसी भाषा में अनेक रचनाएँ कीं।

ढूँढाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं—

- तोरावाटी
- राजावाटी
- चौरासी
- नागरचोल
- किशनगढ़ी
- काठेड़ी
- हाड़ौती

5. हाड़ौती

कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। यहाँ की बोली हाड़ौती , ढूँढाड़ी की एक प्रमुख उपबोली मानी जाती है।

हाड़ौती का उल्लेख सर्वप्रथम केलॉग की *हिन्दी ग्रामर* (1875) में मिलता है। प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है।

6. मेवाती

अलवर तथा भरतपुर के मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मेवाती कहलाती है। इसका विस्तार राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक है।

मेवाती पर ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है और यह पश्चिमी हिन्दी तथा राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है।

7. अहीरवाटी

अहीर जाति के बहुल क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे अहीरवाटी कहा जाता है। इसे राठी अथवा हीरवाटी नाम से भी जाना जाता है।

यह मुख्यतः अलवर, कोटपूतली, महेन्द्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव तथा दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें हरियाणवी और मेवाती दोनों का प्रभाव मिलता है।

8. मालवी

मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। इसमें मारवाड़ी तथा ढूँढाड़ी दोनों की विशेषताएँ विद्यमान हैं। कहीं-कहीं मराठी का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है।

मालवी अपनी मधुरता, कोमलता और कर्णप्रियता के लिए प्रसिद्ध है।

9. निमाड़ी

निमाड़ी को अनेक विद्वान मालवी की उपबोली मानते हैं , जबकि कुछ इसे स्वतंत्र बोली के रूप में स्वीकार करते हैं। इस पर गुजराती, भीली तथा खानदेशी भाषाओं का प्रभाव है। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है।

10. खैराड़ी

शाहपुरा, बूंदी तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली खैराड़ी बोली मेवाड़ी , ढूँढाड़ी और हाड़ौती के मिश्रित स्वरूप के रूप में विकसित हुई है।

11. शेखावटी

सीकर, झुंझुनूं तथा चूरू जिले के अधिकांश भागों में बोली जाने वाली शेखावटी , मारवाड़ी की एक प्रमुख उपबोली है। इस पर मारवाड़ी और ढूँढाड़ी दोनों का प्रभाव दिखाई देता है।

12. गौड़वाड़ी

गौड़वाड़ी मुख्यतः पाली तथा जालौर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। यह मारवाड़ी की एक महत्वपूर्ण उपबोली है और इसकी अपनी विशिष्ट भाषिक विशेषताएँ हैं।

13. देवड़ावाटी (सिरोही)

देवड़ावाटी, जिसे सिरोही भी कहा जाता है, मारवाड़ी की एक उपबोली है। यह मुख्यतः सिरोही जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है।

उपसंहार

राजस्थानी भाषा राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक गौरव की महत्वपूर्ण धरोहर है। इसकी विविध बोलियाँ प्रदेश की भौगोलिक , सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त करती हैं। समृद्ध लोकसाहित्य , लोकगीतों, वीरगाथाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं से परिपूर्ण राजस्थानी भाषा भारतीय भाषाई विरासत की अमूल्य निधि है। आज आवश्यकता है कि इसके संरक्षण , संवर्धन तथा संवैधानिक मान्यता के लिए निरन्तर प्रयास किए जाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस समृद्ध भाषिक परम्परा से जुड़ी रह सकें।

अंचल में विभिन्न गतिविधियां

निबंध : भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में बीमा कंपनियों का योगदान

भूमिका

21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसकी अर्थव्यवस्था न केवल तेज़ी से विकास कर रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी एक अलग पहचान भी बना रही है। भारत की इस आर्थिक यात्रा में कई क्षेत्र सक्रिय रूप से भागीदार हैं—जैसे औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र, कृषि, तकनीकी नवाचार और वित्तीय सुधार। इन सभी में एक महत्वपूर्ण , परंतु अक्सर कम चर्चित भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है—बीमा उद्योग (Insurance Sector)। बीमा उद्योग, जो किसी समय केवल संपत्ति या जीवन की सुरक्षा तक सीमित था , आज एक रणनीतिक वित्तीय इंजन के रूप में उभर चुका है। यह न केवल नागरिकों को जोखिमों से बचाता है, बल्कि देश की आर्थिक संरचना को मज़बूत करता है।

बीमा अब केवल एक व्यक्तिगत सुरक्षा माध्यम नहीं रह गया है। यह एक ऐसी प्रणाली है , जिसके ज़रिए देश के भीतर पूंजी का संचय होता है , निवेश को गति मिलती है , और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। बीमा कंपनियाँ लाखों लोगों को रोजगार देती हैं , सरकारी परियोजनाओं में निवेश करती हैं , और समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक वित्तीय सुरक्षा पहुँचाने का कार्य करती हैं। इन सभी पहलुओं के कारण बीमा क्षेत्र को भारत की आर्थिक संरचना में एक अनिवार्य स्तंभ माना जा सकता है।

भारत में बीमा उद्योग का ऐतिहासिक विकास

भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास लगभग दो सौ वर्षों से अधिक पुराना है। बीमा का प्रारंभिक दौर 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ , जब कोलकाता में 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद कई निजी बीमा कंपनियाँ अस्तित्व में आईं , लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद , 1956 में सरकार ने जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की गई। इसी प्रकार, 1972 में सामान्य बीमा कंपनियाँ भी राष्ट्रीयकृत कर दी गईं।

हालांकि इन वर्षों में बीमा की पहुँच बढ़ी , लेकिन इसका स्वरूप सीमित और एकाधिकारयुक्त बना रहा। वर्ष 1999 में IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) की स्थापना के साथ और 2000 में निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने के बाद इस उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रतिस्पर्धा, नवाचार, ग्राहक सेवा और उत्पाद विविधता जैसे कई क्षेत्रों में सुधार हुए।

आज भारत में जीवन बीमा , स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, वाहन बीमा, साइबर बीमा, और अन्य विशेष बीमा उत्पादों की भरमार है , जो समाज के प्रत्येक वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं।

वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में बीमा की भूमिका

बीमा का मूल उद्देश्य जोखिम प्रबंधन है —चाहे वह जीवन से जुड़ा हो , स्वास्थ्य से, संपत्ति से या व्यापार से। लेकिन इससे भी अधिक, बीमा एक व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक सुरक्षा देता है। जब एक व्यक्ति बीमा कवर प्राप्त करता है , तो वह भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित महसूस करता है। इससे उसके खर्च और निवेश के निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बीमा कंपनियाँ जो प्रीमियम एकत्र करती हैं , उसे दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करती हैं —जैसे सरकारी बॉन्ड , इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट , स्टॉक मार्केट और सामाजिक विकास योजनाएँ। यह निवेश अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को बनाए रखता है और वित्तीय बाजार की स्थिरता को सुदृढ़ करता है। इससे देश की GDP को भी बल मिलता है।

आर्थिक संकट के समय—जैसे कोविड-19 महामारी—बीमा कंपनियों ने न केवल लाखों लोगों को क्लेम का भुगतान किया, बल्कि सरकार और स्वास्थ्य तंत्र को भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीमा केवल निजी संकट नहीं संभालता , बल्कि सामूहिक संकट की स्थितियों में भी देश को संभालने की क्षमता रखता है।

रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा

बीमा क्षेत्र भारत में लाखों लोगों को रोजगार देता है। बीमा एजेंट , सर्वेयर, अंडरराइटर, क्लेम अफसर, तकनीकी विशेषज्ञ, डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आदि जैसे विविध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहे हैं। खास बात यह है कि बीमा क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

बीमा ने स्वरोज़गार को भी बढ़ावा दिया है। आज लाखों युवा और महिलाएँ बीमा एजेंट बनकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। इसके अलावा , छोटे और मध्यम उद्योगों को बीमा सुरक्षा मिलने से वे आत्मविश्वास से व्यापार कर पा रहे हैं, जिससे उद्यमिता का वातावरण बन रहा है।

सुरक्षा और समावेशन की दिशा में योगदान

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वहाँ बीमा एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपकरण बनकर उभरा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ जैसे —

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- आयुष्मान भारत योजना

इन योजनाओं में न्यूनतम प्रीमियम लेकर उच्च लाभ दिए जाते हैं , जिससे गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी बीमा का लाभ ले सकें। यह केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं देता , बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण में बीमा का योगदान

भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनियाँ दीर्घकालिक निवेश करती हैं जो सड़कों , हवाई अड्डों , रेलवे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग होता है। साथ ही , ये परियोजनाएँ अनेक प्रकार के जोखिमों के अधीन होती हैं—जैसे निर्माण जोखिम , प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम , कानूनी दावों का जोखिम —जिनसे बचने के लिए बीमा कवरेज आवश्यक होता है।

बीमा कंपनियाँ न केवल इन परियोजनाओं को सुरक्षा देती हैं , बल्कि इनके वित्तपोषण में भी भाग लेती हैं। इससे देश में शहरीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है।

प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन में बीमा की भूमिका

भारत एक आपदा-प्रवण देश है जहाँ हर वर्ष बाढ़ , सूखा, भूकंप, चक्रवात आदि से जान-माल का भारी नुकसान होता है। बीमा कंपनियाँ इस क्षेत्र में भी राहत कार्यों में भाग लेती हैं। वे किसानों के लिए फसल बीमा , गृहस्वामियों के लिए संपत्ति बीमा और व्यवसायों के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट जैसी पॉलिसियां उपलब्ध कराती हैं।

इसके अलावा, बीमा कंपनियाँ अब जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए विशेष पॉलिसियाँ विकसित कर रही हैं। जैसे - मौसम आधारित फसल बीमा , रीइंश्योरेंस, और पर्यावरणीय बीमा। इससे सतत विकास (Sustainable Development) के लक्ष्य को भी बल मिलता है।

डिजिटलीकरण और नवाचार के साथ विकास

आज बीमा क्षेत्र भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल ऐप्स , वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान, इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट और AI आधारित बीमा योजनाएँ जैसे नवाचार ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं।

(Insurance + Technology) के माध्यम से बीमा प्रक्रिया पारदर्शी , तेज और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन गई है। बीमा कंपनियाँ अब डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर रही हैं, जिससे जोखिम मूल्यांकन, ग्राहक सेवा और धोखाधड़ी की पहचान अधिक प्रभावी हो सकी है।

विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण

सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% तक बढ़ा दी है , जिससे वैश्विक कंपनियाँ भारतीय बीमा बाजार में निवेश कर रही हैं। इससे दोहरा लाभ हो रहा है—एक ओर देश को विदेशी पूंजी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन की वैश्विक दक्षता, तकनीकी नवाचार और बेहतर ग्राहक अनुभव का लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण

बीमा क्षेत्र का यह वैश्वीकरण भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भी सहायक है। विदेशी निवेशकों की भागीदारी से भारत में बीमा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बीमा कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने लगी हैं। इससे बीमा सेक्टर की पारदर्शिता , जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही , यह भी देखा गया है कि वैश्विक बीमा कंपनियों के अनुभव से भारत को प्राकृतिक आपदाओं , महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकटों से निपटने की रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता मिली है।

बीमा कंपनियाँ: नीति निर्माताओं की सहायक

भारत में आर्थिक नीति निर्माण में बीमा कंपनियाँ अब केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं , बल्कि सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं। उनकी दीर्घकालिक निवेश रणनीतियाँ , जोखिम प्रबंधन की विशेषज्ञता , और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँच उन्हें आर्थिक योजना और वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्य बनाती हैं।

बीमा कंपनियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने , डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने , और बचत की आदतों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों में भी सहयोग कर रही हैं। इनके पास ग्राहकों की विस्तृत डेटा जानकारी होती है , जो सरकार को नीतिगत फैसले लेने में मदद कर सकती है — जैसे किस क्षेत्र में कौन-से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधिक प्रभावी होंगे , या किन समुदायों को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है।

भविष्य की दिशा: बीमा का सतत और समावेशी विकास

हालांकि बीमा क्षेत्र ने अब तक सराहनीय प्रगति की है , फिर भी इसमें अपार संभावनाएँ शेष हैं। भारत में बीमा की पहुँच अभी भी अपेक्षाकृत कम है , विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित कार्यबल में। ऐसे में बीमा कंपनियों को चाहिए कि वे अधिक सुलभ, सस्ती और अनुकूल योजनाएँ विकसित करें।

माइक्रो इंश्योरेंस , पारंपरिक बीमा से इतर योजनाएँ , और डिजिटल इकोसिस्टम को ग्रामीण भारत में पहुंचाना, अगले दशक की प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। साथ ही , बीमा शिक्षा (insurance literacy) को स्कूली और कॉलेज स्तर पर भी शामिल किया जाना चाहिए , जिससे युवा वर्ग जोखिम प्रबंधन को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में अपनाए।

सरकार और बीमा कंपनियों को मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जो पारदर्शिता , विश्वास और नवाचार पर आधारित हो। इसके लिए नियामकीय लचीलापन , ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा, और तकनीकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को यदि एक सशक्त , स्थिर और समावेशी दिशा में आगे ले जाना है, तो बीमा क्षेत्र की भूमिका को और अधिक मज़बूत और व्यापक बनाना होगा। बीमा कंपनियाँ अब केवल व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहीं , बल्कि वे आर्थिक वृद्धि की नींव , रोज़गार का स्त्रोत, वित्तीय समावेशन का माध्यम, और समाज के कमजोर वर्गों की ढाल बन चुकी हैं।

इनके द्वारा एकत्रित पूंजी का निवेश देश की आधारभूत संरचनाओं , सरकारी योजनाओं और वित्तीय संस्थानों में हो रहा है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिल रही है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन, जलवायु जोखिम , डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी बीमा कंपनियाँ अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी हैं।

अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीमा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मौन किंतु मज़बूत स्तंभ बन चुका है, जो आगे आने वाले वर्षों में भारत को एक समृद्ध , स्थिर और सुरक्षित राष्ट्र बनाने में अभिनव और अनिवार्य भूमिका निभाएगा।

नम्रता सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

विश्वास की नई ऊंचाइयां : 30 सितंबर 2025 तक उपलब्धियों का विवरण

हर आँकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास, कर्मचारियों की मेहनत और बैंक की उत्कृष्ट सेवा का सजीव प्रमाण है।

30 सितंबर 2025 तक यूको बैंक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ₹43,774 करोड़ का कुल व्यवसाय (TWO, Pool एवं Colending को छोड़कर) अर्जित किया। यह उपलब्धि ग्राहकों के अटूट विश्वास, कर्मचारियों की कर्मनिष्ठा तथा उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं का प्रतिफल है।

सितम्बर 2025 (आंकड़े करोड़ में)

1.	चालू खाता	736
2.	कुल जमा	40769
3.	बचत जमा	4065
4.	कुल सावधि जमा	35831
5.	कासा	4801
8.	कुल रिटेल	1643
9.	कुल एमएसएमई	957
10.	कुल अग्रिम	3052
11.	कुल कृषि	147
12.	कुल कारोबार	43821

तीन - नियम

1. ज़िंदगी एक उपहार है, जिसकी कद्र करनी चाहिए । हम में अपने भविष्य को आकार देने की क्षमताएं हैं । अफ्रीकी लेखक बर्नार्ड केल्विन क्लाइव के अनुसार
" हम उपहार का इंतज़ार करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम स्वयं एक उपहार हैं। हमें तो बस भीतर के हीरे के ऊपर चढ़े खोल को हटाना है।"

2. जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। वह है अपने सुविधा क्षेत्र यानि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना । समय-समय पर खुस से सवाल करने , खुदको चुनौती देने और नए-नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहें । जीवन सुरक्षित दायरों के बाहर है, खउद को नए अनुभवों तक ले जाना ही हमें आगे बढ़ाता है ।

3. हमें जिस दुनिया में रहते हैं , वह लगातार बदल रही है। तालमेल बिठाने के लिए हमारे खुले विचारों का होना बहुर ज़रूरी है । बात केवल बड़े बदलाव की नहीं है। कुछ नए तरह के स्वाद , नए रंग , अलग पहनावे या फिर विभिन्न संस्कृति के लोगों से मिलने-जुलने की छोटी कोशिशें भी हमें बहुत कुछ बदल देती हैं ।

सोशल मीडिया से साभार

यूको बैंक का विश्वास केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है , बल्कि प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित , सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बैंक समाज के हर वर्ग तक बीमा, पेंशन और वित्तीय सुरक्षा का लाभ पहुँचाकर जीवन में विश्वास, परिवार में सुरक्षा और भविष्य में आश्वस्तता का संचार कर रहा है। इसी क्रम में यूको बैंक को " Visionary Leadership Award" से सम्मनित किया गया और यह पुरस्कार श्री राजेश कुमार तिवारी महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख नई दिल्ली ने ग्रहण किया।

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust
RETAIL BANKING DEPARTMENT
1000 +
CAR LOANS CLUB
1
NEW DELHI
As on 01.10.25
1055 Acs, ₹ 120.07 Crs
1st ZONE
Zonal Head
RLH Head
RLH Head
SHIFTING GEARS TO GLORY - 1000 CAR LOANS CROSSED!

यूको राजभाषा प्रतिज्ञा

"हम, यूको बैंक के स्टाफ-सदस्य, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि
हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निरंतर कार्य करेंगे।
हम अपने बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने एवं
उसकी स्थिति को उन्नत करने के प्रति सदैव सजग रहेंगे।
हम अपने सामूहिक प्रयास से राजभाषा के क्षेत्र में अपने बैंक को गौरवशाली बनाएंगे।
हम स्वयं राजभाषा में दृढ़तापूर्वक कार्य करेंगे एवं दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के उपबंधों
एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करके

**राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी
यूको बैंक को सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का बैंक बनाएंगे।"**

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust